राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच
Forum for Awareness of National Security (FANS)
(Regd. No. S/1723/District South/2014)
101, H.I.G. DDA Flats, Block-1,
Motia Khan, Paharganj Pin Code. 110055.
M: 8178828297, 8375965010 Ph: 011-43524524

प्रस्ताव क्र-.४

<u>कश्मीर समस्या</u>

वर्ष १९४७ में भारत की स्वतन्त्रता के पश्चात् से ही जम्मू कश्मीर एक अशांत राज्य रहा है ।। पाकिस्तान ने अकारण भारत पर वर्ष १९४७, १९६५, १९७१ तथा १९९९ में जम्मू कश्मीर के कारगिल तथा उसके आसपास के क्षेत्रों पर आक्रमण किये ।। इन सभी लड़ाइयों में पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा ।। वर्ष १९४७ के युद्ध के दौरान, तत्कालीन केंद्र सरकार के गलत निर्णय के कारण जम्मू कश्मीर राज्य की स्थिति और बिगड़ गयी ।।

पहला निर्णय युद्ध विराम का था, जब हमारी सेनायें जम्मू कश्मीर के उस भूभाग को, जिस पर पकिस्तान ने कब्ज़ा कर लिया था, वापस छुड़ाने की स्थिति में थी । ।वह भूभाग जिसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के नाम से जाना जाता है, आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है । ।

दूसरा निर्णय भारत पाक विवाद को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने का था और उस राज्य में मतगणना कराने का ।। यद्यपि आज उसका कोइ औचित्य नहीं है क्योंकि राष्ट्र संघ ने कहा कि यह पाकिस्तान और भारत के मध्य द्विपक्षीय मामला है ।।

तीसरा निर्णय, जो तत्कालीन भारत के प्रधान मंत्री पंडित नेहरु ने लिया, वह था जम्मू कश्मीर के लिए आर्टिकल ३७० का । इसकी कोंई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि तब तक उस राज्य का भारत में पूर्ण विलय हो गया था ।। आज तक वह आर्टिकल ३७० भारत के लिए गले की हड्डी बना हुआ है ।।

सन १९८९ में जम्मू कश्मीर की अलगाववादी सरकार ने कशमीरी पंडितों को राज्य से निस्काषित कर दिया । उनकी औरतों का बलात्कार, हत्या तथा लूटपाट जैसे जघन्य अपराध किये ।। उनका उद्देश्य था कि ऐसा करने से राज्य में मुसलमानों की संख्या हिन्दुओं के मुकाबले

अधिक हो जाएगी और मत गणना में उन्हें बहुमत के आधार पर उस राज्य के विषय में निर्णय लेने में पूरी छूट मिल जायेगी ।। इन विस्थापित कश्मीरी पंडितों को जम्मू कश्मीर राज्य में वापस जाने के लिए केंद्र सरकार तुरंत कार्यवाई करे और सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए ।।

जम्मू कश्मीर में आतंकवादी भारतीय सेनाओं पर, जो राज्य की सुरक्षा के लिए है, घात लगा कर आत्मघाती हमले करते हैं ।। उन्हें पाकिस्तान से अलगाववादियों को प्रशिक्षण तथा हथियार मिलते हैं और उन्हें आत्मघाती आक्रमण के लिए तैयार करने में सहयोग मिलता है ।। भारत सरकार इन अलगाववादियों की सुरक्षा में करोडो रुपये खर्च करती रही है ।। हाल ही में वहां की पूर्व मुख्य मंत्री महबूबा मुफ्ती का एक बयान बहुत ही अशोभनीय और शर्मनाक था, जब उन्होंने कहा " "यदि १९८७ की तर्ज पर कोई हमारी पीडीपी पार्टी में फूट डालने का तथा मुस्लिम संगठन मंच को तोड़ने का प्रयास करेगा तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे ।। उन्होंने चेताया कि उस प्रयास ने सैयद सलाहउद्दीन, जो हिजबुल मुजाहिदीन के मुखिया हैं, तथा यासीन मलिक, जो कश्मीर मुक्ति मंच के मुखिया हैं, जैसे खूंखार लोगों को पैदा किया था ।।"" कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने भी टिप्पणी की कि यदि २०१९ के चुनाव में मोदी सरकार विजयी होती है तो भारत में हिन्दू तालिबानों की सरकार होगी ।। इस प्रकार की टिप्पड़ियों को विचारों की स्वतंत्रता की संज्ञा नहीं दी जा सकती है | ।ऐसे लोगोंके विरुद्ध कठोर कार्यवाई करनी चाहिए ।। इससे अधिक सत्ता का दुरुपयोग और क्या होगा, जब भारतीय सेनाओं के विरुद्ध, जो राष्ट्र और जम्मू कश्मीर राज्य की सुरक्षा के लिए अपना उत्तरदायित्व निभा रहे हैं, ऍफ़ आई आर दर्ज कराई गयी । जब वे पत्थरबाजों से, जो उनके ऊपर अंधाधुंध पत्थर बरसा रहे थे, अपनी आत्मरक्षा के लिए आवश्यक कार्यवाई की ।। राज्य सरकार ने उन गुंडों के विरुद्ध कोई कार्यवाई नहीं की ।।

मानवाधिकार संगठन भी पत्थर बाजों की ही तरफदारी करते रहे और सेनाओं की भर्त्सना करते हैं जैसे कि सेना को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार ही न हो ।। भारत सरकार ने इस तरह के

बयानों का पुरजोर विरोध किया है || यह बहुत ही शर्मनाक बात है कि विपक्ष भी पत्थर बाजों तथा मानवाधिकार सगठनों का समर्थन करता है ||

राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच इस विषय पर विस्तृत चर्चा कर के निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करता है;

१. अलगाववादियों को कठोर दंड देना चाहिए ||

२. उन संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाया जाये, जो राष्ट्र विरोधी कार्यों में संलग्न हैं ||

३. हर व्यक्ति को अपनी रक्षा करने का अधिकार है और सेनाओं को भी आत्म रक्षा का अधिकार है || अफ्स्पा के अंतर्गत अपना उत्तर दायित्व निभाने तथा आत्मरक्षा के लिए कार्य करने वाले सैनिकों के विरुद्ध एफआईआर रद्द की जाए ||

४. आर्टिकल ३७० को निरस्त किया जाए क्योंकि यह राज्य की प्रगति में मदद करने के बजाय उसको पीछे ले जाने वाला साबित हुआ है || इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है इसलिए यहाँ दो संविधानों का कोइ औचित्य नहीं है ||

५. सेनाओं को अधिकार दिया जाना चाहिए कि वे दुश्मनों का पीछा करते समय, यदि आवश्यक हो, तो सीमा पार उनके क्षेत्र में घुस सकें ||

६. पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र को राजनैतिक तथा अन्य साधनों से दबाव डालकर मुक्त करना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो बल प्रयोग भी करना चाहिए।

७. जो व्यक्ति अलगाववादियों का समर्थन करता है, उसके विरुद्ध सख्त कार्यवाई करनी चाहिए। |

८. अलगाववादियों को जो सुरक्षा कवच दिया गया है, उसे तुरंत हटा लेना चाहिए और उन्हें जेल में डाल देना चाहिए ||

९. सन १९४७ में पाकिस्तान से विस्थापित और जम्मू कश्मीर राज्य में पिछले ७० साल से रह रहे लोगों को नागरिकता देनी चाहिए , ताकि वे सरकारी योजनाओं का अन्य नागरिकों की भांति लाभ उठा सकें | |